दिल्ली महिला आयोग विधेयक–1994

दिल्ली महिला आयोग गठन करने तथा इससे सम्बन्धित मामलों एवम् प्रासंगिक बातों को व्यवस्थित करने का विधेयक

भारत गणराज्य में पैंतालीसवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :–

अध्याय–1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त शीर्षक विस्तार एवम् प्रारम्भ

1. यह अधिनियम 'दिल्ली महिला आयोग अधिनियम' 1994 कहा जाएगा।
2. इसका विस्तार सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में होगा।
3. यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन–तिथि से लागू होगा।

2. परिभाषाएँ

2. जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक इस अधिनियम में :-

क. राजधानी' का अर्थ 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' है।

ख. 'आयोग' का अर्थ धारा-3 के अन्तर्गत गठित 'दिल्ली महिला आयोग' है।

ग. 'सरकार' का अर्थ 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार' है।

घ. 'सदस्य' आयोग का अर्थ आयोग का सदस्य है तथा इसमें सदस्य-सचिव भी सम्मिलित हैं।

च. 'राष्ट्रीय आयोग' का अर्थ राष्ट्रीय महिला आयोग, अधिनियम 1990 की धारा 3 के अन्तर्गत गठित राष्ट्रीय महिला आयोग है।

केन्द्रीय नियम, 1990 की 20 उपधारा,

छ. 'निर्धारित' का अर्थ इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित नियमों से है।

अध्याय-2

दिल्ली महिला आयोग

3. दिल्ली महिला आयोग का गठन

1. सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करने तथा दिए गये कार्यों का निष्पादन करने के लिए (दिल्ली महिला आयोग) के नाम से एक निकाय का गठन करेगी।

2. इस आयोग में :-

क. महिलाओं के कार्यों के लिए समर्पित एक अध्यक्ष सरकार द्वारा नामित किया जाएगा।

ख. महिला कल्याण प्रशासन आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा या समाज कल्याण में कम से कम दस वर्ष का अनुभव रखने वाले व्यक्तियों मे से पांच सदस्य सरकार नामित करेगी। व शर्त है कि कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों में से होगा।

ग. सरकार द्वारा एक सदस्य सचिव नामित किया जाएगा जो कि

1. प्रबन्धक, संगठनात्मक संरचना तथा समाज शास्त्रीय आन्दोलन के क्षेत्र का विशेषज्ञ हो या
2. सार्वजनिक सेवाओं या अखिल भारतीय सेवाओं का एक सदस्य या उपयुक्त अनुभव रखने वाला सार्वजनिक पद पर कार्य करने वाला एक अधिकारी हो।

4. अध्यक्ष एवम् सदस्यों के कार्यालय की अवधि तथा सेवाओं की शर्तें

1. अध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य की कार्य अवधि इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट होगी, जो कि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
2. अध्यक्ष या कोई सदस्य, 'सदस्य सचिव के अतिरिक्त जो संघ की सार्वजनिक सेवाओं या अखिल भारतीय सार्वजनिक सेवाओं का एक सदस्य या संघ में सार्वजनिक पद पर हो' सरकार को सम्बोधित लिखित में अध्यक्ष या जैसा भी मामला हो, के कार्यों से किसी भी समय त्याग पत्र दे सकता है।
3. उप-धारा (2) में उल्लेखित सरकार किसी भी व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य के कार्यों से निम्नलिखित स्थितियों में हटा सकती है - यदि वह व्यक्ति :

क. दिवालिया हो जाये।

ख. ऐसे अपराध, जो सरकारी दृष्टि में एक नैतिक भ्रष्टता मानी जाती है, के लिए दोषी पाए जाए या सजा यापता हो।

ग. मानसिक रूप से विक्षित हो जाये तथा इसकी घोषणा अधिकृत न्यायालय से की जाये।

घ. कार्य करने के लिए मना कर दे या कार्य करने के अयोग्य हो जाये।

ड. आयोग की लगातार तीन बैठकों से आयोग से अनुपस्थिति का अवकाश लिए बिना अनुपस्थित रहे या

च. सरकार की राय में अध्यक्ष या सदस्य ने पद का दुरूपयोग किया है तथा उस व्यक्ति के कार्य पर बने रहने से सार्वजनिक सेवा का अहित है। ब शर्तें कि इस उप-धारा के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को नहीं हटाया जा सकता है जब तक कि उसे इस मामले में सुनवाई का उपयुक्त अवसर न मिला हो।

4. उपधारा (2) के अन्तर्गत अन्यथा रिक्त हुए स्थान को नये नामंकन से भरा जाएगा।

5. अध्यक्ष तथा सदस्यों का देय वेतन तथा भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें तथा निबंधन यथा निर्धारित होगा।

5. आयोग के अधिकारी एवम् अ र कर्मचारी

1. इस अधिनियम के अन्तर्गत सरकार द्वारा आयोग के कार्यों के प्रभावी कार्य निष्पादन के लिए जैसा आवश्यक होगा वैसे अधिकारी और कर्मचारी लगाए जायेंगे।
2. इस आयोग के लिए नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों का देय वेतन तथा भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें तथा निबंधन यथा निर्धारित होंगीं।

6. अनुदान से देय वेतन तथा भत्ते

अध्यक्ष तथा सदस्य तथा अधिकारियों तथा कर्मचारियों को देय वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि प्रशासनिक व्यय धारा 5 के उल्लेखानुसार दिए जाएगें जो कि धारा 11 की उपधारा (1) के अनुदान से देय होंगीं।

7. रिक्तयां आदि आयोग के कार्यवृत को अमान्य करेंगीं।

मात्र कोई स्थान रिक्त होने या आयोग के गठन में कोई कमी रहने की स्थिति में आयोग के कार्य या कार्यवाही पर प्रश्न नहीं उठेगा तथा अमान्य न माना जाएगा।

8. आयोग की समितियां

1. समय समय पर आयोग आने वाले विशेष मामलों के निपटाने के लिए जितना आवश्यक समझे उतनी समितियां नियुक्त कर सकेगा।
2. आयोग यदि ठीक समझे तो उप-धारा (1) के अन्तर्गत नियुक्त किसी भी समिति में से व्यक्तियों को सहयोजित कर सकेगा जो आयोग के सदस्य नहीं हैं। इस प्रकार सहायोजित व्यक्तियों को समिति की बैठकों में भाग लेने तथा कार्यवृत में भाग लेने का पूरा अधिकार होगा, परन्तु इनको मत देने का अधिकार नहीं होगा।
3. इस प्रकार सहयोजित किये गये व्यक्ति आयोग की बैठकों में भाग लेने के लिए निर्धारित किये गये भत्तों को प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

9. आयोग द्वारा विनियमत प्रक्रिया

1. आयोग या समिति की बैठक जब भी आवश्यक होगा, ऐसे समय और स्थान पर होगी, जिसे अध्यक्ष ठीक समझेगा।
2. आयोग अपने लिए अपनी प्रक्रिया तथा समितियों के लिए उनकी प्रक्रिया या विनियन करेगा।

3. आयोग के सभी आदेश तथा निर्णय सदस्य सचिव या ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे इस सम्बन्ध में सदस्य सचिव अधिकृत करेगा, प्राधिकृत किए जाऐंगे।

अध्याय–3

10. आयोग के कार्य

(1) आयोग निम्नलिखित में से सभी या किसी भी कार्य का निष्पादन करेगा यथा।

क. संविधान तथा अन्य कानूनों के अन्तर्गत महिलाओं की सुरक्षा–उपायों से सम्बन्धित मामलों का अन्वेषण एवम् परिक्षण करना।

ख. सरकार को इस प्रकार की सुरक्षा–उपायों पर वार्षिक या ऐसे अन्य समय पर जिसे आयोग ठीक समझे रिर्पोट प्रस्तुत करना।

ग. राजधानी में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए उन सुरक्षा–उपायों के प्रभावी कार्यन्वयन के लिए रिपोर्ट में सिफारिशें करना।

घ. महिलाओं को प्रभावित करने वाले संविधान के वर्तमान प्रावधानों तथा अन्य कानूनों को समय समय पर पुर्ननिरीक्षण (पुनरावलोकन) करना तथा उनमें संसाधनों की सिफारिश करना, ताकि इस प्रकार की विधियों में त्रुटियों अनुपयुक्ता कमियों को दूर करने के लिए सुधारात्मक विधि के उपाय का सुझाव दिया जा सके।

च. संविधान के प्रावधानों तथा महिलाओं से सम्बन्धित अन्य कानूनों के उल्लंघन के मामलों को उपयुक्त अधिकारियों के सामने लाना।

छ. शिकायतों को सुनना तथा सोद्देश्य बताओं नोटिस देना या निम्नलिखित मामलों को देखना।

1. महिलाओं को अधिकारों से वंचित करने के मामले में।
2. महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बने कानूनों का कार्यान्वयन करना तथा समानता तथा विकास के उद्देश्यों को पूरा करना।
3. महिलाओं की कठिनाईयों को कम करने तथा कल्याण सुनिश्चित करने तथा सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से सम्बन्धित नीति–निर्णय, मार्गदर्शक सिद्धांत या अनुदेशों का अनुपालन न करना तथा ऐसे मामलों से जुड़े प्रश्नों को उपयुक्त प्राधिकारियों के सामने लाना।

ज. महिलाओं के प्रति किये जा रहे विभेद और अत्याचारों के कारण उत्पन्न हो रही विशेष समस्याओं और स्थितियों का विशेष अध्ययन और अन्वेषण कराना तथा बाधाओं को जानकर उनको दूर करने के लिए उपाय–योजना बनाना।

झ. सभी क्षेत्रों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए रास्ते सुझाना हेतु तथा उनकी प्रगति में बाधक तत्वों जैसे : आवास तथा बुनियादी सेवाओं का अभाव, उनकी उत्पादकता में रुकावट डालने वाले कठिन कार्य तथा स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कार्यो को कम करने के लिए अपर्याप्त सहयोगी सेवाओं तथा तकनीकियों को पहचान कर प्रोन्नत एवम् शैक्षिणिक अनुसंधान कराना।

ट. महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक उन्नति की योजना प्रक्रियाओं में भाग लेना तथा सलाह देना।

ठ. राजधानी में महिलाओं के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।

ड. कारागार, रिमांड गृह तथा महिला संस्थान या अन्य किसी ऐसे स्थान जहां महिलाओं को कारागार तथा अन्य कारण से रखा जाता है निरीक्षण या निरीक्षण के लिए प्रेरित करना, यदि आवश्यक समझा जाए तो सम्बन्धित अधिकारियों के साथ सुधारात्मक कार्यवाही करना।

ढ. महिलाओं की एक बड़े निकाय को प्रभावित करने वाले धन–विवाद संबंधी मामले।

त. महिलाओं से सम्बन्धित किसी भी मामले या विशेष रूप से विभिन्न कठिनाईयां, जिन्हें महलाऐं झेलती हैं, के सम्बन्ध में सरकार को निर्धारित समयावधि में रिर्पोट देना।

थ. सरकार द्वारा भेजा गया अन्य कोई भी मामला।

(2) सरकार उप–धारा (1) के प्रखंड (ब) में उल्लेखित तथा जो राष्ट्रीय महिला आयोग से प्राप्त होंगी तथा जिसको राजधानी की विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता हो, उन सभी रिपोर्टो पर राजधानी से सम्बन्धित सिफारिशों पर की गई कार्यवाही या प्रस्तावित कार्यवाही के विवेचित ज्ञापन के साथ कार्यवाही करेगी। यदि किसी सिफारिश को अस्वीकार किया गया हो तो उसका कारण बतायेगी–

(3) खंड (क) या उप–धारा (1) के खण्ड (एफ) के उप खण्ड (2) में उल्लेखित मामलों की जांच पड़ताल करते हुए आयोग के पास मुकदमा चलाते समय, विशेष रूप से निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में दीवानी अदालत की शक्तियां होगी :– अर्थात

क. भारत के किसी भाग से किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति के लिए दबाव डालने या बुलाने तथा शपथ पर उसकी जांच करने के लिए

ख. किसी कागजात को खोजने या प्रस्तुत करने की अपेक्षा होने पर।

ग. शपथ–पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने के लिए।

घ. किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी सरकारी रिकार्ड या उसकी प्रतिलिपी मांगने के लिए।

च. साक्ष्य तथा कागजात के परीक्षण के लिए बुलाया–आदेश जारी करते समय।

छ. अन्य कोई भी मामला जो निर्धारित किया जाए।

अध्याय–4
वित्त, लेखा एवम् लेखा परीक्षा
11. सरकार द्वारा अनुदान

1. सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में राजधानी की विधान–सभा में आवश्यक विनियोजन के बाद सरकार जितना भी उपयुक्त समझे इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए प्रयोग में लीं जा रहीं धन–राशि अनुदान के रूप में आयोग को प्रदान करेगी।

2. इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यों के निष्पादन के लिए जितना भी उपयुक्त समझे आयोग धन व्यय कर सकता है तथा उप–धारा (1) में उल्लेखित अनुदान से दय इस प्रकार की धन–राशि व्यय समझी जायेगी।

12. लेखा तथा लेखा परीक्षण

1. सरकार द्वारा सरकार के वित्त विभाग के परामर्श से निर्दिष्ट प्रपत्रा में आयोग उचित लेखा तथा सम्बन्ध रिकार्ड रखेगा तथा लेखा का वार्षिक विवरण तैयार करेगा।

2. आयोग का लेखा परीक्षण सरकार के लेखा परीक्षक के द्वारा विनिर्दिष्ट अन्तराल पर उसके द्वारा किया जायेगा।

3. सरकार वित्त विभाग तथा उनके द्वारा इस अधिनियम के अधीन आयोग के लेखाओं की लेखा–परीक्षा के सम्बन्ध में नियुक्त किसी व्यक्ति को ऐसी लेखा परिक्षा के सम्बन्ध में वहीं अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो साधारणतया लेखा–परीक्षक को सरकारी लेखाओं की लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में होते हैं और विशिष्टयां बहियों खातों सम्बन्धित बाउचरों तथा अन्य दस्तावेजों और कागज पत्रों को पेश किये

जाने की मांग करने और आयोग के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने तथा प्रतिभूतियों नकदी तथा स्टोर की गणना व सत्यापन करने का अधिकार होगा।

4. आयोग के लेखों को लेखा परीक्षक के सत्यापन तथा परीक्षण रिपोर्ट के साथ आयोग द्वारा वार्षिक रूप से सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।

13. वार्षिक रिपोर्ट

आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट इस सम्बन्ध में निर्धारित किये गये तरीके तथा समय पर बनायेगा तथा इसकी इस प्रति सरकार को भेजेगा। इसमें विगत वित्तीय वर्ष की गतिविधियां का पूर्ण विवरण दिया जाएगा।

14. विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक तथा लेखा परीक्षण रिपोर्ट

सरकार वार्षिक रिर्पोट तथा इसमें सरकार से सम्बन्धित सिफारिशों पर की गई कार्यवाही के ज्ञापन के साथ यदि कोई सिफारिश स्वीकार नहीं की गयी है तो उसका कारण बताते हुए यह रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट जैसे ही प्राप्त होती है राजधानी विभाग सभा के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

अध्याय–5

विविध

15. अयोग के अध्यक्ष, सदस्य तथा कर्मचारी सार्वजनिक कर्मचारी होंगे

आयोग का अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थ में सार्वजनिक कर्मचारी समझे जायेंगे।

16. सरकार आयोग का परामर्श लेगी।

महिलाओं को प्रभावित करने वाली सभी प्रमुख नीति–सम्बन्धी मामलों के लिए सरकार आयोग का परामर्श लेगी।

17. नियम बनाने की शक्तियां

1. इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए सरकार सरकारी–राजपत्र में अधिसूचना जारी कर नियमावली बनायेगी।

2. विशेष रूप से शक्ति छोड़ने की सामान्यता से दुर्भावना किये बिना यह नियमावली निम्नलिखित सभी मामलों या विशेष रूप से किसी एक मामले के सम्बन्ध में होगी अर्थात

क. धारा (4) की उप–धारा (5) के अन्तर्गत अध्यक्ष तथा सदस्यों तथा धारा 5 की उप–धारा (2) के अन्तर्गत अधिकारियों तथा कर्मचारियों को देय वेतन तथा भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें और निबंधन।

ख. धारा 8 की उप–धारा (3) के अन्तर्गत सहयोजित व्यक्तियों के लिए आयोग की बैठकों में भाग लेने के लिए भत्ते।

ग. धारा 10 की उप–धारा (4) के खण्ड–एफ के अन्तर्गत आने वाले अन्य मामले।

घ. धारा 12 की उप–धारा (1) के अन्तर्गत लेखा का वार्षिक विवरण किस प्रकार का होगा।

च. धारा 13 के अन्तर्गत तैयार की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट का रूप और समय।

छ. कोई अन्य मामला जो अपेक्षित है या निर्धारित किया जाना है।

3. इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाया गया प्रत्येक नियम बनने के बाद राजधानी की विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा, जबकि इसका तीस दिन की कुल अवधि का सत्र चल रहा हो। जिसमें एक सत्र या दो या आगे होने वाले अधिक सत्र सम्मिलित हो तथा यदि सत्र की समाप्ति से पूर्व या तत्काल अगले सत्र या उक्त आगे होने वाले सत्रों में राजधानी की विधान–सभा का कोई भी संशोधन करती है या नियम न बनाने का निर्णय लेती है तो जैसा भी मामला हो नियम लागू नहीं होगा। परन्तु इस प्रकार का कोई संशोधन या निष्प्रभावन उस नियम में पहले की गयी किसी बात की उपयुक्ता के दुराग्रह के बिना हो।

(यू.पी. सिंह)
उप–सचिव